


मुख्यलय 5/0 कल्याण 4/5 शोभन 5/0 रोशन लाल
प्र.स. 26/2003 Online No. 2003/00004

10-10-24

पत्रावली पेश हुई। वारी आधिवक्ता अनुपस्थित।
वारी आधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाज लगवाई
गई। समय 5.45 PM का ही युक्त है। वारी को
उपस्थित हेतु पुनः एक बार आवाज लगवाई गई।
परन्तु वारी एवं वारी आधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
आदेशिका दिनांक 17/10/2013 को वारी आधिवक्ता की
अनुपस्थिति में आदेश 7 नियम 11 में प्रकाशित नराल
सुनी गई थी। इसके अन्तर्गत पत्रावली में वारी अथवा
वारी आधिवक्ता की उपस्थिति नहीं हुई है। वामे यह
स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वारी अथवा बाद पत्र
को चलाने का इच्छुक नहीं है। साल ही वारी/वारी
आधिवक्ता को नियमावली आवाजें लगाने के अन्तर्गत
भी उपस्थित नहीं होने के कारण वारीगत द्वारा
उत्पन्न वाद को अदम लक्ष्मी - अदम लक्ष्मी में
प्राथमिक फिफा जाता है। पत्रावली फौजदारी मुद्दा
होकर दायील दफ्तर ही तमाम नम्बर से कम
हो।


10/11/22
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

श्री 10/11/22
10/11/22